BEFORE THE REVENUE BOARD, GWALIOR, (MADHYA PRADESH)

APPEAL NO. OF 2005

The Diocesan Corporation of Jabalpur,
Through Its Power Of Attorny Holder,
Father Thomes Santosh aged about 54 years,
Son of Joseph M., Resident of "Sneh Sadan",
Opp. Chief Justice Banglow,
South Civil Lines,
JABALPUR, (M.P.)

... APPELLANT

-VERSUS-

1. State of Madhya Pradesh,
Through Commissioner,
Jabalpur. (M.P.)

2. Collector,
Dindori (M.P.)

3. Father Joseph Taniyal
Resident of Dullopur, (M.P.)

... RESPONDENTS

APPEAL UNDER SECTION 44 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

Feeling aggrieved against the order dated 26.08.2005 passed by the Commissioner, Jabalpur in Rev. Appeal No. 74/A-2/2004-2005 arrissing out of order dated 31.05.2005 passed by the Collector, Dindori, M.P. in Revenue Appeal No. 15/A-2/2001-02, the appellant, named above, begs to prefer this appeal on the following facts and grounds:

FACTS OF THE CASE

1. That the appellant is a non trading corporation engaged in religious, charitable , social and educational purpose. Father Thomes Santosh is duly appointed attorny of the appellant having a authority to sign and verify the pleadings for and on behalf of the appellant in the court below.

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

अपील प्रकरण कमांक 2075–दो/2005 जिला डिण्डोरी

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
4-1-17	यह अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 74 अ–2/2004–05 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–5–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अंतिम बहस दिनॉक 8–7–2016 को अपीलांट द डायोशेसन कॉर्पोरेशन आफ जबलपुर के अभिभाषक ने फादर थामस संतोष के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 25–2–15 की छायाप्रति तथा उनके व्दारा की गई पावर आफ अटार्नी दिनांक 1–11–12 की छायाप्रति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये मांग रखी कि कार्पोरेशन अब यह अपील चलाना नहीं चाहता है इसलिये प्रकरण न्यायहित में समाप्त कर दिया जाय। 3/ शासन पक्ष के पैनल लायर एंव अपीलांट के अभिभाषक को सुनकर आभाषित है कि अपीलांट की मांग अनुसार अपील प्रकरण इसी–स्तर समाप्त किये जाने में बैधानिक अड़चन नहीं है। अतः प्रकरण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य

R/13